नर्द अहकाम

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज.)

सुनिल बनाम शिवराम

प्रकरण इजराय संख्या—..50 / 2025..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.2.26	अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी कम 3 के अधिवक्ता श्री अरविन्दसिह ऑबेरॉय उप. है। मूल अवार्ड दिनांक 18.8.2025 का है ।अप्रार्थी 3 द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई है। अवार्ड को 90 दिवस से अधिक का समय व्यतित हो चुका है इजराय चिन्हित प्रकरणोंमें से लंम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लंम्बित इजरायको तीन माह में निस्तारित किया जाना है। अप्रार्थी बीमा कम्पनीसंख्या 3 को अवार्ड राशि मय ब्याज राशि जमा कराने हेतु उनकी प्रार्थना पर पूर्व में पांच अवसर दिये जा चुके है। वकील प्रार्थी का तर्क रहा है कि अवार्ड को 6 माह से अधिक समय व्यतित हो चुका है साथ ही वकील प्रार्थी ने आज प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी 3 बीमा कम्पनी का खाता विवरण पेश कर किया गया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी 3 के विरूद्व अवार्ड राशि अन्तर्गत आदेश 21 नियम 46 सीपीसी के तहत कुर्की वारंन्ट जारी किये जाने की प्रार्थना की गई।सुना गया। इजराय का अवलोकन किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एंव बीमा कम्पनी के बावजूद आदेश दिये जाने व समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांन्त भी राशि जमा नहीं कराने पर अधिकरण अब यही न्यायोचित पाता है कि बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोम्पों जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का ऑन लाईन खाता संख्या 03840200001505 ifsc code –BARBOBANDRO जो प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है को अविलम्ब कुर्क करने बाबत कुर्की आदेश जारी हो एव यह भी अंकित किया जावे की अधिकरण के आगामी आदेश तक कोई भी लेन–देन इस खाते से आदेश प्राप्त होने की दिनांक से ही नहीं किया जावे। साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा जो आदेश की अवज्ञा की गई है के संबंध में भी संबंधित अधिकारी को भी नोटिस जारी किया जावे क्यो नहीं उनके विरूद्व अधिकरण के आदेशों की अवज्ञा के संबंध में विधिनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। इजराय पत्रावली दिनांक 07.03.2026 को पेश हो। न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण अजमेर